

कार्यालय आदेश सं.98/2018

महाप्रबन्धक (कार्मिक) गोरखपुर के कार्यालय आदेश सं. 34 पृ.स.- का/210/10- रिडिप्लायमेंट/ आब्जर्वेशन/मेडि0(1)गोरखपुर दिनांक-15.02.2018 द्वारा डॉ.एस.ए.खान,एसएजी,आई.आर.एम.एस./चिकित्सा निदेशक/कैंसर संस्थान/वाराणसी का स्थानांतरण चीफ सर्जन,ल.ना.मि.रे.चि./गोरखपुर के पद पर गया है, को तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है।

उपरोक्त पर मरेप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मंडल कार्मिक अधिकारी  
वाराणसी

दिनांक 17.04.2018

सं. का/191/राज/चि/डॉ.एस.ए.खान/पीसी

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
2. वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
3. महाप्रबंधक(कार्मिक)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
4. मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य स्वास्थ्य निदेशक/गोरखपुर।
5. विसमुलेधि/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
6. उप मुकाधि(राज.)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मंडल चिकित्सालय/वाराणसी लखनऊ एवं इज्जतनगर।
8. चिकित्सा निदेशक /वाराणसी।
9. मरेप्र /वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
10. अमरेप्र /वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
11. वमविप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
12. वमकाधि/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
13. सभी शाखाधिकारी/वाराणसी मण्डल।
14. मंडल मंत्री/नरमू एवं अजा-अजजा एसो.।
15. सम्बन्धित अधिकारी।

sh  
17-04-18  
कृते मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
वाराणसी

कमि  
19.04.18  
17-04-18